



File No: PFRDA/06/11/13/0001/2022-ADMIN

Date: 07.12.2022


**Debarment of M/s Comet Enterprises (Security Agency)**

It is to inform all concerned stakeholders that the contract/agreement executed with M/s Comet Enterprises for providing security services to PFRDA effective from 1st April, 2021 to 31st March 2023 was terminated with effect from 9 August 2022 due to adoption of unfair practices by Comet Enterprises in bid submission at the time of RFP.

As per Rule 151 of GFR, a bidder shall be debarred, if, as per sub clause (iii), the bidder has breached the code of integrity. Further, as per Rule 175 of GFR, sub clause (1), no official of a procuring entity or a bidder shall act in contravention of the codes (codes of integrity) which includes (h) making false declaration or providing false information for participation in a tender process or to secure a contract.

Hence, the entity M/s Comet Enterprises is debarred and shall not be eligible to participate in procurement process of PFRDA for a period of two years from the date of debarment i.e. 7 December 2022.

This issues with the approval of the competent authority.

  
(Sachin Joneja)  
General Manager  
(Administration)

फाइल नं : पीएफआरडीए/06/11/13/0001/2022-प्रशासन

दिनांक : 07.12.2022

### मेसर्स कामेट एंटरप्राइजेज (सुरक्षा एजेंसी) पर प्रतिबन्ध

सभी संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि पीएफआरडीए में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स कॉमेट एंटरप्राइजेज के साथ एक अनुबंध/समझौता निष्पादित किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी था। कामेट एंटरप्राइजेज द्वारा आरएफपी के समय अनुचित प्रथाओं को अपनाने के कारण इस अनुबंध/समझौते को दिनांक 09.08.2022 को समाप्त कर दिया गया।

जीएफआर नियम 151 उप खंड (iii) के अनुसार, किसी बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किए जाने पर उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीएफआर के नियम 175 के उप खंड (1) के अनुसार, खरीद करने वाली इकाई या बोलीदाता का कोई भी आधिकारिक व्यक्ति संहिताओं (सत्यनिष्ठा संहिताओं) का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें (ज) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना सम्मिलित है।

अतः, मेसर्स कॉमेट एंटरप्राइजेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वे प्रतिबंध की तिथि 07.12.2022 से दो वर्ष की अवधि तक पीएफआरडीए की खरीद प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

सचिन

(सचिन जोनेजा)  
महाप्रबंधक  
(प्रशासन)